न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 67/2021

वादीगण
1. ईश्वरसिंह पुत्र चमनाराम
2. पंखुकुमारी पत्नी ईश्वरलाल जातियान पुरोहित निवासी चाटवाडा तहसील रानीवाडा

प्रतिवादीगण
1. प्रवीणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी चाटवाडा
2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला जालोर

दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
1. वादीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई
2. प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा

–: निर्णय :–

दिनांक 30.03.2022

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। मौजा चाटवाडा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1331 रकबा 1.91 हैक्टर बारानी दोयम, खसरा नबंर 1344 रकबा 1.69 हैक्टर बारानी प्रथम, जुमले रकबा 3.60 हैक्टर में खातेदार ईश्वर पुत्र चमनाराम हिस्सा 1/3, पंखुकुमारी पत्नि ईश्वरलाल हिस्सा 1/3 व प्रवीणसिह पुत्र जसवन्तसिह हिस्सा 1/3 राजस्व रेकर्ड की खातेदारी आराजी आयी हुई है। मौजा चाटवाडा की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1331 व 1344 में वादी संख्या 1 ने बैचानकर्ता प्रभात कुंवर से उनका 1/3 हिस्सा खरीद किया तथा वादी संख्या 2 ने बैचानकर्ता समुन्द्रसिह से उनका 1/3 हिस्सा खरीद किया बाद खरीद वादीगणों ने कब्जा काश्त प्राप्त की, उक्त खसरा नबंरान को आगे वाद ग्रस्त आराजी कहा जायेगा, बैचान दस्तावेज संलग्न दावा पेश है। उक्त आराजी में वादी संख्या 2 पंखुकुमारी ने अपना हिस्सा जो कि समुन्द्रसिंह पुत्र जसवन्तसिहं से खरीद किया वह अपने पति ईश्वरलाल से जरिये मुख्तियारनामा आम के समुन्द्रसिंह से प्राप्त की है। वादीगणों द्वारा उक्त आराजी खरीद करने के बाद उक्त आराजी के 2/3 हिस्से पर वादीगणों का कब्जा काश्त व स्वामित्व है।
2. वाद कारण आज से दस दिन पूर्व दिनांक 7.11.2021 को पैदा हुआ जब वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से राजस्व रेकर्ड में बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स के आधार पर बंटवारा करने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 नाराज हो गया तथा कहा कि तुम लोगो ने उक्त विवाद ग्रस्त आराजी कैसे खरीद कर ली, वक्त खरीद के तुम वादीगण ने मुझ प्रतिवादी संख्या 1 से पुछा क्यों नहीं तथा कहा कि अब मै न तो उक्त वाद ग्रस्त आराजी का बंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:44:38 IST
Reason: SelfAttested

करूगां तथा न ही उक्त वाद ग्रस्त खातेदारी आराजी का बंटवाडा होने दुंगा तथा वादीगण के कब्जे की आराजी को हडफ करने की धमकी दी तथा उक्त विवाद ग्रस्त आराजी को मेरे राजनीतिक पहुंच होने से तुम लोगों से वापस ले लुंगा। जो वाद कारण निरन्तर आज दिन तक जारी है। इसलिए दावा बाबत् बंटवाडा खातेदारी आराजी पेश है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 झगडालु व आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है जो अपने राजनैतिक पहुंच से वादीगणों को परेशान कर सकता है। इसलिए बाद बंटवाडा खातेदारी आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं तथा अन्य किसी से कोई दखल न करे, इसलिये दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

3. वादीगण इस्तदुआ है कि मौजा चाटवाडा तहसील रानीवाडा के खेत खसरा नबंर 1331 रकबा 1.61 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1344 रकबा 1.69 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम जुमले रकबा 3.60 हैक्टर का वादीगणों व प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रेकर्ड अनुसार व मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवाडा किये जाये। तथा वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा का बंटवाडा कर बंट का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करावें। व उक्त विवादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1331 व 1344 का बाद बंटवाडा प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं तथा किसी अन्य से कोई दखलन्दाजी नहीं करावें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण जारी करावे।
4. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर बाद तामिल समन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं दिया गया।
5. दिनांक 03.03.2022 को न्यायालय द्वारा वादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा चाटवाडा (नया) तहसील रानीवाडा में खाता संख्या 320 के खसरा नम्बर 1331, 1334 रकबा क्रमश 1.61, 1.69 हेक्टेयर जूमले रकबा 3.60 हैक्टेयर आराजी के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट /2022/238 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2022/320 दिनांक 14.03.2022 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।
6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेर्शिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री विभाजनानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:44:38 IST
Reason: SelfAttested

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	ईश्वर पुत्र चमनाराम हिस्सा 1/2 पंखु पत्नि ईश्वर हिस्सा 1/2 कौम पूरोहित सा. देह खातेदार	1331	1.91	1.91	बा.दो.	पीला	नियमानुसार
		1344	1.69	0.49	बा.दो.		
2.	प्रवीणसिंह पुत्र जसवंतसिंह कौम राजपूत सा. लाखावास खातेदार	1344	1.69	1.20	बा.दो	हरा	नियमानुसार

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:44:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. ईश्वरसिंह पुत्र चमनाराम 2. पंखुकुमारी पत्नी ईश्वरलाल जातियान पुरोहित निवासी चाटवाडा तहसील रानीवाडा	बनाम	1. प्रवीणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी चाटवाडा 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 67/2021

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	ईश्वर पुत्र चमनाराम हिस्सा 1/2 पंखु पत्नि ईश्वर हिस्सा 1/2 कौम पूरोहित सा. देह खातेदार	1331	1.91	1.91	बा.दो.	पीला	नियमानुसार
		1344	1.69	0.49	बा.दो.		
2.	प्रवीणसिंह पुत्र जसवंतसिंह कौम राजपूत सा. लाखावास खातेदार	1344	1.69	1.20	बा.दो	हरा	नियमानुसार

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30.03.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:44:38 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:44:38 IST
Reason: SelfAttested